

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)

**DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
49, SHAM NATH MARG, OLD SECTT., DELHI-110054.
Fax No. 23818298, E-Mail Address: dagri@sansad.nic.in**

No. F. 8/6/86-DAM/MR/Vol-II/ 903

Dated: 10 JUN 2008

ORDER


No. F. 8/6/86-DAM/MR/Vol-II/ In supersession of the previous notification No. F. 8/6/86-DAM/MR/Vol-II/4246 dated 16.09.2005 and as per the provision of Sub Section (2) of Section 23 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, the Fodder Market at Tikri Kalan is de-notified as Principal Market for marketing of agricultural produce pertaining to fodder items with the boundaries as under:-

East :	Agricultural land.
West :	Temple and Petrol pump (M/s Vijay Service Station).
North :	Residential colony to be known as (Baba Hari Dass Nagar Colony)
South :	Delhi Rohtak Road, National Highways No. 10.

Further, in accordance with the provision of Sub Section (2) of Section 23 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, the market at Mangolpuri with the following boundaries is de-notified as Sub Yard of Fish Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi and declared as Principal Market for marketing of agricultural produce pertaining to fodder items:-

East :	Ordnance Depot Shakur Basti.
West :	Mangolpuri Industrial Area, Phase-II.
North :	Mangolpuri Industrial Area, Phase-II.
South :	Delhi Rohtak Railway line.

By Order,


(Dr. R.D. SRIVASTAVA)
DIRECTOR,
AGRICULTURAL MARKETING,
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विकास विभाग)

कृषि विपणन निदेशालय

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सं. एफ 8/6/86-डी0ए0एम0/एम0आर0/खण्ड-11/ 903

दिनांक : 10 JUN 2008

आदेश

सं. एफ 8/6/86-डी0ए0एम0/एम0आर0/खण्ड-11/ 8/6/86-डी0ए0एम0/एम0आर0/खण्ड-11/4246 दिनांक 16.09.2005 को निरस्त करते हुए तथा कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चारा मण्डी टिकरी कंला चारे की मदों के कृषि विपणन हेतु जिसकी निम्न सिमाओं को मुख्य मण्डी के रूप में किया गया था को डीनोटिफाईड किया जाता है:-

पूर्व	:	कृषि भूमि
पश्चिम	:	मन्दिर और पेट्रोल पम्प (मैसर्स विजय सर्विस स्टेशन)
उत्तर	:	रिहायसी कालोनी-बाबा हरिदास नगर कालोनी
दक्षिण	:	दिल्ली-रोहतक रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 10

आगे, कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंगोलपुरी स्थित मंडी को, जिसकी सिमाएँ निचे वर्णित हैं को मछली, मुर्गी व अंडा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली की सहायक मंडी से डीनोटिफाईड किया जाता है तथा इसको चारे के मदों के कृषि विपणन हेतु मुख्य मण्डी के रूप में घोषित किया जाता है :-

पूर्व	:	आयुध मण्डार शकूर बस्ती
पश्चिम	:	मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस-2
उत्तर	:	मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस-2
दक्षिण	:	दिल्ली-रोहतक रेलवे लाईन

आदेश से,

(डॉ० आर०डी० श्रीवास्तव)
निदेशक, कृषि विपणन
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार